स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

फाईल नं. टूर रिपोर्ट / 12 / वीसी(यूपी) / 2018 / आरयू–I दिनांक 20.08.2018

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
प्रथम तल, कमरा नं.110
लालबहादुर शास्त्री भवन
उत्तर प्रदेश सचिवालय
लखनऊ–226001.
दूरभाषः 0522–2238212, 2221599.
फैक्सः 0522–2239283.
ई–मेलः csup@nic.in

विषयः अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक सुरक्षणों की समीक्षा।

महोदय,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत किया गया है। इसे अन्य बातों के साथ–साथ संविधान के अंतर्गत अथवा तत्समय लागू किसी अन्य कानून अथवा सरकार के किसी अन्य आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना और इन सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करने का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को इन सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, माननीय राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है।

2. तद्नुसार, आयोग ने लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में दिनांक 30–31 / 08 / 2018 को उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आरक्षण नीति सहित संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने समीक्षा के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है जिसकी एक प्रति आपके राज्य द्वारा, उत्तर / सूचना प्रस्तुत करने के लिए, संलग्न है। यह प्रश्नावली आयोग की बेवसाइट http://ncst.nic.in/content/questionnaire-review-download-statesuts में उपलब्ध है। इस प्रश्नावली में कवर किए गए विभिन्न मुद्दों के उत्तर, समीक्षा बैठक के लिए आधार निर्मित करेंगे।

3. निवेदन है कि प्रश्नावली के संबंध में उत्तर / सूचना तैयार की जाए और इस आयोग को **27 अगस्त, 2018** तक उपलब्ध कराई जाए। इस प्रश्नावली के उत्तरों की एक सॉफ्ट प्रति js@ncst.nic.in और ds.admn@nic.in पर रिकॉर्ड हेतु भेजी जाए। राज्य में अनुसूचित जनजातियों

के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए उपायों/कार्यक्रमों के साथ एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण भी आयोग के समक्ष समीक्षा बैठक के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

4. दिनांक 30.08.2018 को समीक्षा बैठक एवं अन्य बैठक की समय सारणी निम्नानुसार है:–

(i) दिनांक 30 अगस्त, 2018 को 11:00 बजे समीक्षा बैठक, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव समाज कल्याण, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य सामान्य प्रशासन, शिक्षा, पुलिस महानिदेशक, संभागायुक्त लखनऊ सहित राज्य के अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ (स्थान निर्धारित किया जाए)

(ii) दिनांक 30 अगस्त, 2018 को 03:00 बजे मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, कलेक्टर मऊ, बलिया, चंदौली एवं कुशीनगर तथा जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र जारी नहीं करने के संबंध में दलित आदिवासी जीवन ज्योति फाउन्डेशन, नोएडा और अन्य की उपस्थिति में लखनऊ में आयोग को प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में सुनवाई (स्थान निर्धारित किया जाए और बैठक के लिए नोटिस, प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा)।

5. आयोग दिनांक 30 अगस्त, 2018 को उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहेगा। निवेदन है कि माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय के साथ समन्वय किया जाए और इस कार्यालय को मिलने के समय के संबंध में सूचित किया जाए।

भवदीय,

(पी.टी जेम्सकुट्टी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:–011–24620638

प्रतिलिपि: सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार,
उत्तर प्रदेश सचिवालय,
लखनऊ–226001
दूरभाष–0522–2238083
ई–मेल: pr.sec.sw@dirsamajkalyan.in

2. प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार
बापू भवन, सचिवालय,
लखनऊ–226001
दूरभाष–0522–2238020
फैक्स–0522–2239086
ई–मेल:psrevenuedeptup@gmail.com

(पी.टी जेम्सकुट्टी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:–011–24620638

o/c

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. PA to Hon'ble Member (HKD), NCST
4. PS to Hon'ble Member (HCV), NCST
5. PS to Hon'ble Member (MCI), NCST
6. Sr. PPS to Secretary, NCST
7. Office of the Joint Secretary, NCST
8. Office of the Deputy Secretary.
9. AD (RU-II)
10. RO (RU-IV)
11. AD (RU-III & Admn.)
12. NIC (for hosting on Commission's website and also send the email to the concerned.)

7088-90
20/8/18
जारी किया
ISSUED